



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 21.12.2024

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 03 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ एक पिकअप वाहन में 02 भैंस व 05 पड़वा लेकर सतना से आ रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान कालिंजर से किया गया गिरफ्तार।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 20/21.12.2024 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना कालिंजर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को एक पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर सतना से आते समय कालिंजर से गिरफ्तार किया गया।

### **बरामदगी-**

- 02 भैंस व 05 पड़वा
- 01 पिकअप वाहन (परिवहन में प्रयुक्त)

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. रवि पुत्र मंदाडी निवासी देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना (म0प्र0)
2. पवन पुत्र जस्सी निवासी शंकर पुरवा थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
3. अनूप पुत्र मंजू भाट निवासी महोतरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

### **पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 199/24 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना कालिंजर जनपद बांदा।

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ दुबे
3. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
4. कां0 अंकित मलिक